



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 1735 / री.ए.डी.एम / 2020

इन्दौर, दिनांक 09.06.2020

/// आदेश ///

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)
(इन्दौर शहर को 3 झोन में विभक्त कर झोनवार विभिन्न गतिविधियों को शिथिल करने के संबंधी आदेश दिनांक 09 जून 2020 से प्रभावशील)

कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 1540-1541/रीएडीएम/2020/ इन्दौर, दिनांक 31-5-2020 अनुसार इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र को तीन झोन, झोन-1(मध्यक्षेत्र), झोन-2 (मध्यक्षेत्र एवं 29 गांव के मध्य का क्षेत्र) एवं झोन-3 (29 गांव) में विभाजित कर विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति दिनांक 1-6-2020 से प्रदान की थी। उक्त आदेश में विभिन्न गतिविधियों को दी गई छूट को यथावत रखते हुए निम्नानुसार तीन झोन में अतिरिक्त गतिविधियों को छूट आज दिनांक 9-6-2020 को क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप में हुई चर्चानुसार लिए गए निर्णय अनुसार प्रदान की जाती है-


अ- नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र को कमशः तीन झोन में वर्गीकृत किया गया है

1- झोन-3

झोन-3 में इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर वर्ष 2014-2015 में शामिल 29 ग्रामों का क्षेत्रफल आता है। इन ग्रामों के नाम निम्नानुसार है- निपानिया, पिपल्याकुमार, कनाड़िया, टिगरिया राव, भिचौली हप्सी, भिचौली मर्दाना, नायता मुण्डला, पालदा, लिम्बोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, कैलोद कर्ताल, निहालपुर मुण्डी, हुक्मा खेड़ी, सुखनिवास, अहिरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, रेवती, बरदरी, भंवरासला, कुमेडी, भानगढ़,

शक्कर खेड़ी, तलावली चांदा, अरण्डिया, लसूड़िया मोरी, मायाखेड़ी एवं बड़ा बांगड़दा

ज़ोन-3 का मानचित्र



2- ज़ोन-2

ज़ोन-2 में इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत 29 ग्राम एवं मध्य क्षेत्र के बीच का शहरी भाग

ज़ोन-2 का मानचित्र




3- ज़ोन-1

ज़ोन-1 में इन्दौर शहर का मध्य क्षेत्र आता है, जिसकी बाहरी सीमा इस प्रकार है-

गंगवाल बस स्टैंड, एम.ओ.जी. लाईन, महु नाका, लालबाग, कलेक्टर कार्यालय, गाडी अड्डा ब्रिज, जूनी इन्दौर, सरवटे बस स्टैंड, रेलवे

स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन, राजकुमार मिल ब्रिज, अग्निबाण प्रेस, पोलोग्राउण्ड, मरीमाता चौराहा, लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थल, टाटा स्टील चौराहा (किला मैदान), कंडिलपुरा, बड़ा गणपति से गंगवाल बस स्टैंड के अंदर का मध्य शहर का भाग

जोन-१ का मानचित्र



ब- दिनांक 9-6-2020 को काईसेस मैनेजमेंट समिति में लिए गए निर्णयों के तारतम्य में विभिन्न जोन में निम्नानुसार गतिविधियों को संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(i) जोन-3 (29 ग्रामों का क्षेत्र)

आदेश दिनांक 31-5-2020 में अति आवश्यक, सामान्य आवश्यक एवं निम्न आवश्यकताओं की वस्तुओं की दुकानों के साथ-साथ निम्नानुसार गतिविधियाँ अतिरिक्त रूप से संचालित की जा सकेंगी

- 1- समस्त प्रकार के निजी कार्यालय 50 प्रतिशत अधिकतम स्टॉफ संख्या में संचालित हो सकेंगे।
- 2- स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विक्रय की दुकानें संचालित की जा सकेंगी।
- 3- समस्त ऐसी अन्य दुकानें जो आदेश दिनांक 31-5-2020 में स्वीकृत गतिविधि में नहीं आई थी, वे दुकानें भी प्रातः 8 बजे से सांय 7 बजे के बीच संचालित की जा सकेंगी।

(ii) झोन-2 (मध्य क्षेत्र एवं 29 ग्रामों के बीच का शहरी क्षेत्र)

झोन-2 में आदेश दिनांक 31-5-2020 के तारतम्य में उल्लेखित अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ-साथ निम्नानुसार सामान्य आवश्यकताओं की दुकानें भी प्रातः 10 बजे से सांय 7 बजे तक संचालित की जा सकेगी-

- 1- गारमेंट/ होजियरी/साड़ी शो रूम एवं दुकानें/टेलरिंग शॉप्स/पीपीबैग्स-पेपर बैग्स/गृहोपयोगी प्लास्टिक सामग्री (जैसे-बाल्टी,मग्गा,टब,बाटल,टिफिन इत्यादि)/ ट्रेवल-स्कूल बैग्स/ बर्तन/काकरी/होम एप्लायंसेज/ कम्प्यूटर्स/इलेक्ट्रानिक आईटम्स/ हार्डवेयर/ मोटर्स/ लुब्रिकेंट्स/ आटोपार्ट्स/आटो शो-रूम्स/ साईकिल/ फोटोकापी/ फोटोग्राफर्स /ट्रेवल एजेंसीज
- 2- समस्त प्रकार के निजी कार्यालय केवल 33 प्रतिशत स्टॉफ संख्या में संचालित हो सकेंगे।
- 3- विभिन्न स्पोर्ट्स एरीया में केवल बेडमिंटन एवं लॉन टेनिस जो नान कांटेक्ट स्पोर्ट्स की श्रेणी में आते हैं, वह केवल खेली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इन स्पोर्ट्स एरीया में रेस्टोरेंट एवं अन्य किसी भी प्रकार के इनडोर गेम्स या कोई भी अन्य गतिविधि स्टीम बाथ, स्वीमिंग आदि प्रतिबंधित रहेगी।
- 3- स्पोर्ट्स इक्वुपमेंट की दुकानें प्रातः 10 बजे से सांय 7 बजे तक संचालित की जा सकेगी।
- 4- मधुमिलन चौराहे स्थित छोटी ग्वालटोली में टायरट्यूब की थोक दुकानें को प्रातः 10 से सांय 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वे केवल फोन एवं वाट्सएप पर आर्डर लेकर थोक सप्लाई करेंगे, ग्राहकों का दुकानों पर आना प्रतिबंधित रहेगा एवं शटर आधा बंद रखेंगे।
- 5- विभिन्न होटल्स में स्थित किचन को संचालित कर होम डिलेवरी की अनुमति प्रदान की जाती है। रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति नहीं रहेगी



तथा किसी भी ग्राहक को अथवा अन्य व्यक्ति को रेस्टोरेंट में किसी भी प्रकार का भोजन सर्व नहीं किया जा सकेगा। होटल्स में स्थित रेस्टोरेंट अथवा अन्य रेस्टोरेंट संचालित नहीं होंगे केवल कीचन प्रारंभ कर होम डिलेवरी प्रारंभ की जा सकेगी।

- 6- झोन-2 में स्थित विभिन्न होटल्स को केवल यात्रियों के ठहरने हेतु इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि वे 50 प्रतिशत स्टाफ संख्या पर केवल 50 प्रतिशत कमरों का संचालन कर सकेंगे तथा कमरों में रुकने वाले यात्रियों को केवल कीचन से रूम सर्विस दी जा सकेगी। रेस्टोरेंट का संचालन अथवा रेस्टोरेंट पर ठहरे हुए यात्रियों को नाश्ता, चाय, भोजन सर्व करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जाँच के दौरान रेस्टोरेंट बंद हालात में पाया जाना होटल संचालक के लिए बंधनकारी होगा।
- 7- विभिन्न प्रकार के वाहनों के शो रूम एवं उनके सर्विस सेंटर के संचालन की अनुमति भी प्रातः 10 से 7 बजे तक इस शर्त पर दी जाती है कि ये शो रूम 50 प्रतिशत स्टाफ पर संचालित होंगे।
- 8- मालवा मील अनाज मंडी को इस शर्त पर संचालन की अनुमति दी जाती है कि वे फोन, वाट्सएप पर बाहर से माल खरीदते हुए फोन वाट्सएप पर ही अनाज को बेचेंगे। किसी भी किसान का दुकान पर आना प्रतिबंधित रहेगा।
- 9- नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न उद्यान एवं सीटी पार्क जैसे, रीजनल पार्क, नेहरू पार्क एवं अन्य पार्क केवल सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मार्निंग वॉक हेतु आम जनता के लिए खोले जावेंगे। दिन में एवं सांय सीटी पार्क, नेहरू पार्क, रीजनल पार्क आदि आमजन हेतु बंद रहेंगे।

(iii) झोन-1 (मध्य क्षेत्र)

मध्यक्षेत्र में आदेश दिनांक 31-5-2020 के तारतम्य में मूलभूत गतिविधियाँ जैसे ग्रासरी, किराना शॉप, टेले एवं लोडिंग आटो पर फल सब्जी का विक्रय दूध की दुकानों एवं डेयरी का संचालन को यथावत



रखते हुए निम्नानुसार गतिविधियों के अतिरिक्त रूप से उल्लेखित शर्तों अनुसार संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है—

- 1— झोन-1 में बहुत सी वस्तुओं की होलसेल दुकानें हैं, जहाँ से सामान पूरे प्रदेश में सप्लाई किया जाता है। चूँकि प्रदेश के ज्यादातर नगरों में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होना प्रारंभ हो रही है, ऐसी स्थिति में इन होलसेल सामानों की सप्लाई किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मध्यक्षेत्र में स्थित विभिन्न होलसेल बाजारों जैसे एमटी क्लथ मार्केट, मारोठीया बाजार, बर्तन बाजार, जेलरोड़, महारानी रोड़, सीयागंज, शास्त्री मार्केट आदि को सम-विषम (ODD-EVEN) के सिद्धान्त पर प्रातः 10 बजे से सांय 7 बजे अपने ग्राहकों को फोन पर आर्डर लेकर सामान डिलेवरी करनेगे एवं ट्रांसपोर्ट पर भेजने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सोमवार-बुधवार-शुक्रवार को विषम पतें/भवनों में स्थित दुकानें (जैसे- क्रमांक 1, 3, 5, 7 इत्यादि)

मंगलवार-गुरुवार-शनिवार को सम नंबर वाले पते/भवनों वाली दुकानें (जैसे- 2, 4, 6, 8 इत्यादि)

उक्त सभी मध्यक्षेत्र में स्थित होलसेल बाजारों के बाजार एसोसिएशन कल दिनांक 10-6-2020 को इन दुकानों को चिन्हित करके दिनांक 11-6-2020 से सम नंबर वाली दुकानों को संचालित करना प्रारंभ करवा देंगे।

होलसेल बाजारों की इन दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी होलसेल बाजार एसोसिएशन की रहेगी तथा आर्डर केवल फोन एवं वाट्सएप पर लेकर सामग्री की डिलेवरी बिना ग्राहकों को बुलाए करेंगे।

- 2— रानीपुरा, दौलतगंज, हाथीपाला एवं सियागंज होलसेल की दुकानों के संबंध में क्षेत्रीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पवन जैन एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वहाँ के एसोसिएशन से चर्चा कर दुकान संचालन के संबंध में कल दिनांक 10-6-2020 को कार्य-योजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन क्षेत्रों में अभी केवल होलसेल दुकानें उपरोक्तानुसार प्रक्रिया से



अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रारंभ कराई जा सकती है।
वर्तमान में खेरची दुकानें प्रारंभ नहीं हो सकेंगी।

- 3- सीतलामाता बाजार स्थित विभिन्न भवनों में नगर निगम द्वारा रोड़ चौड़ीकरण किए जाने से निजी भवनों में सिविल सुधार कार्य भवन स्वामी करवा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अभी केवल मध्यक्षेत्र में अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य में प्रतिबंध यथावत रहेगा।
- 4- यह आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपेडिमिक डिसिस एक्ट 1897 के तहत जारी किया जा रहा है। अतः केवल थोक बाजार के दुकानदार ही उक्त निर्देशों के तहत सम-विषम के तहत दुकानें खोल सकेंगे। अगर किसी खेरची व्यापारी द्वारा उक्त निर्देशों के उल्लंघन में स्वयं को अलग रखकर खोलने का कार्यवाही करेगा तो वह दण्डात्मक कार्यवाही आकर्षित करने का हकदार रहेगा।
- 5- मध्यक्षेत्र में दिनांक 31-5-2020 के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के लिखित आदेश एवं दिनांक 29-3-2020 के उपरान्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा जारी आदेश के उपरान्त स्वीकृत गतिविधियों एवं इस आदेश के माध्यम से स्वीकृत गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधि पूर्वानुसार प्रतिबंधित रहेगी।

इन्दौर शहर हेतु सामान्य निर्देश

1- दिनांक 1-6-2020 से शहर में खोली हुई गतिविधियाँ एवं आज दिनांक को खोली जा रही अन्य गतिविधियों का प्रभाव शहर में कोराना संक्रमण के रूप में किस प्रकार से आएगा। इस संबंध में चिकित्सकों का एक दल परीक्षण कर रहा है। अन्य गतिविधियों के संबंध में दिनांक 16-6-2020 के उपरान्त पुनः विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की उपस्थिति, कोराना संक्रमण की पाजीटीवीटी रेट आदि के आधार पर शहर की स्थिति एवं विभिन्न गतिविधियों के संचालन के संबंध में काईसेस मैनेजमेंट समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जावेगा।

2- इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में तीन सीटर ऑटो मात्र को इस शर्त पर ऑटो संचालन की अनुमति दी जाती है कि वे अधिकतम दो यात्री बैठाकर शहर में ऑटो संचालन कर सकेंगे। इस संबंध में ट्रेफिक पुलिस को यह निर्देशित किया जाता है कि दो यात्रियों से अधिक होने पर अथवा यात्रियों द्वारा मास्क नहीं पहने



जाने पर संबंधित ऑटो को जप्त कर कसंगे तथा आरटीओ द्वारा संबंधित ऑटो चालक का ड्रायविंग लायसेंस एवं ऑटो का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा सकेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभी टाटा मैजिक श्रेणी के वाहनों एवं विभिन्न श्रेणी के रिक्शा, ई-रिक्शा (तीन सीटर से ज्यादा) के संचालन की अनुमति पूर्ववत् प्रतिबंधित रहेगी, जिससे आने वाले समय में इनके एसोसिएशन से चर्चा कर अग्रिम निर्णय लिया जा सकेगा।

3- पूरे जिले में रात्रीकालीन कर्फ्यू रात्री 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा परन्तु अत्यावश्यक सेवाएँ इस अवधि में भी हो सकेगी।

4- 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति (जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है), गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यथासंभव अपने घर में ही रहेंगे एवं अत्यावश्यक कार्यों जैसे कि मेडीकल चेकअप आदि के लिए ही बाहर निकल सकेंगे।

5- किसी भी व्यवसाय स्थल/औद्योगिक इकाई में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले निवासी कार्य पर नहीं आ सकेंगे और नाही कन्टेनमेंट जोन में स्थित कोई भी दुकान अथवा उद्योग को संचालित किया जा सकेगा।

6- सम्पूर्ण इन्दौर नगरीय क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग क्लास, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, स्विमिंग पूल, सिनेमा, ऑडिटोरियम, सार्वजनिक परिवहन(ऑटो को छोड़कर), शॉपिंग माल, जिम, स्पोर्ट्स इवेंट, सभी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सभाएं, रैली, जुलुस आदि पूर्वानुसार प्रतिबंधित रहेंगे।

7- रविवार को नगर निगम इन्दौर शहर क्षेत्र की समस्त दुकानें बंद रहेंगी।


चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड



प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा और यह भी कि उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर **National Disaster Management Act- 2005** एवं **The Epidemic Disease Act, 1897** के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं **डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005** की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा यह भी कि उक्त आदेश का उल्लंघन **भारतीय दण्ड विधान की धारा 188** अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट/अनुमतियाँ पूर्ववत् लागू रहेंगी।

यह आदेश दिनांक 9/06/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।


(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 1736 / री०ए०डी०एम० / 2020

इन्दौर, दिनांक 09-6-2020

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
- 4- उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
- 5- आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
- 6- समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
- 8- समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
- 10- एस०डी०ओ०(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त),, इन्दौर
- 11- उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
- 12- थाना प्रभारी, थाना.....जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
- 13- उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाषण हेतु अग्रेषित।



- 14- प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
16- संबंधित



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

